भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 616

20.07.2016 को दिया जाने वाला उत्तर

आरपीएफ कर्मियों की संख्या

616. श्री सदाशिव लोखंडे:
श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में तैनात वर्तमान कार्मिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है और कई स्टेशनों के पास महिला पुलिसकर्मी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व में देश में सभी रेलवे स्टेशनों में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने की योजना बनाई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में रेलवे स्टेशनों पर महिला पुलिस कर्मियों सहित कार्मिकों की संख्या कितनी है; और

(ड.) रेलवे यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा और संरक्षा हेतु आरपीएफ को जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री मनोज सिन्हा)

(क) से (घ): आरपीएफ स्टाफ की मौजूदा स्वीकृत क्षमता 75,879 है, जो मौजूदा आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है, क्योंकि रेलवे की सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है।

आरपीएफ में महिला कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, सभी प्रारंभिक भर्तियों में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। पिछले 03 वर्षों में 1014 महिला कार्मिक भर्ती की गई हैं और इस समय महिला कार्मिकों की संख्या 1327 से बढ़कर 2341 हो गई है।

देशभर के रेलवे स्टेशनों पर औसतन लगभग 38,798 पुरुष और 1834 महिलाएं तैनात की गई हैं।

(ड.): रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा और सुरक्षा के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, रेल यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा भी कदम उठाए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित दिशा-निर्देश शामिल हैं:

1. यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण गाड़ियों में आरपीएफ की मार्गरक्षण पार्टी की तैनाती करना।
2. स्पेशल स्कवॉड की तैनाती करना, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कार्मिकों सहित आरपीएफ कार्मिकों की तैनाती शामिल है।
3. यात्रियों को चौबीसों घंटे सुरक्षा संबंधी सहायता मुहैया कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 कार्य कर रहा है।
4. अपराध के मामले के यथोचित पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर जीआरपी/पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।
5. गाड़ियों और रेल परिसरों में अनधिकृत रूप से प्रवेश को रोकने के लिए रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित रूप से अभियान चलाना।
6. अपराध की रोकथाम के लिए चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी करना।

****